न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 955–पीबीआर/01 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 141/99–2000/निगरानी.

---

1 श्रीमती नूरजहां विधवा पत्नी बाबूखां
2 मोहम्मद याकूब खां पुत्र बाबूखां (मृत) वारिसान :–
(अ) श्रीमती राजिया खान पत्नी स्व0 याकूब खान
(ब) जफर खान
(स) रिजवान खान
(द) आयशा खान
(इ) मुवीना खान
(ई) शन्नो खान
(उ) असलम खान
ब से उ तक पुत्र पुत्रिया स्व0 याकूब खांन
निवासी ग्राम भितरवार जिला ग्वालियर
3 मोहम्मद अयूब खां पुत्र बाबू खां (मृत) वारिसानः–
(अ) श्रीमती राशिदा खान पत्नी स्व0 अयूब खान
(ब) मो0 उवेश नकवी
(स) समीर नकवी
पुत्रगण स्व0 श्री अयूब खान
निवासी ग्राम भितरवार जिला ग्वालियर
4 मोहम्मद क्यूम पुत्र बाबू खां
5 मोहम्मद शमीम खां पुत्र बाबू खां
निवासीगण 1 से 5 ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
6 नसीम पत्नी निशार निवासी कमलागंज
घोसीपुरा शिवपुरी
7 रूखसाना पत्नी सलीम खां
निवासी तेली की बजरिया शिवपुरी
8 मतलूब खां पुत्र वशीर खां
निवासी ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मेहबूब खां पुत्र बशीर खां
निवासी ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 19–2–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 8 के आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–9–94 को आदेश पारित कर ग्राम आंतरी स्थित भूमि खाता कमांक 354 कुल किता 5 रकबा 29.636 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा आवेदक स्वर्गीय बाबू खां एवं आवेदक कमांक 8 मतलूब खां एवं अनावेदक मेहबूब खां के मध्य किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–1999 को आदेश पारित कर प्रकरण कमांक 8/94–95/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–1999 के तारतम्य में अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 30–9–1994 निरस्त किया गया एवं प्रकरण प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 30–12–1999 के आधार पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–7–2000 को आदेश

पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–12–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तहसील न्यायालय के मूल प्रकरण एवं पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तर्कों की उचित विवेचना के उपरान्त प्रकरण का निराकरण किया जाये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–2–2001 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के निराकरण हेतु 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित की गई, परन्तु अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं करने के कारण तहसीलदार द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाकर बंटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हुई है । यह भी कहा गया कि पुत्रियों के नामांतरण को 7 वर्ष पश्चात अपील में चुनौती दी गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के कारण अनावेदक को 4 वर्ष पूर्व ही नामांतरण आदेश की जानकारी हो गई थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में सहमती के आधार पर आदेश पारित हुआ है और सहमती से पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी । यह भी कहा गया कि पूर्व में अपर आयुक्त द्वारा बंटवारा नामांतरण को सही ठहराया गया है और अपर आयुक्त के आदेश को चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है । तर्क के समर्थन में 1978 राजस्व निर्णय 282, 1964 राजस्व निर्णय 109 एवं 1976 राजस्व निर्णय 407 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त मुस्लिम परिवार की संपत्ति है और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–2–2001 को आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी ही बंटवारा करा सकते हैं, और नामांतरण प्रकरण लंबित रहने से अभिलिखित भूमिस्वामी स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा नहीं हो सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण में अपील को अंतिम नहीं माना गया है तब

बंटवारे को अंतिम मानना उचित कार्यवाही नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी विलंब के कारण से सहमत थे अतः इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि जिन खातेदारों के मध्य बंटवारा किया गया है, उनका नामांतरण आदेश दिनांक 24–1–1984 से हुआ है । उक्त नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 8/94–95/अपील में दिनांक 30–12–1999 को आदेश पारित कर निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि मुस्लिम विधि के अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त एवं विधि मान्य प्रकिया अपनाकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें । उपरोक्त आदेश पारित करने के उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में तहसील न्यायालय का बंटवारा आदेश दिनांक 30–9–1994 निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रकरण कमांक 8/94–95/अपील के प्रत्यावर्तन के आधार पर प्रकरण का विधि मान्य निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही विधिसंगत नहीं ठहराई जा सकती है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को बंटवारा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश की वैधानिकता के संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों के संदर्भ में आदेश पारित करना चाहिये था । इसी आशय का निष्कर्ष अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निकाला जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है कि मूल बंटवारा प्रकरण एवं पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तर्कों की उचित विवेचना उपरान्त प्रकरण का निराकरण करें, जो कि वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19--2--2001 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 657–पीबीआर/01 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर